

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-11 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/03/2022-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 25 फरवरी, 2022

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री सौम्या शर्मा, आईएएस (एजीएमयूटी:2018) को श्री अर्चित वीरेन्द्र चन्दक आईपीएस (महाराष्ट्र:2018) से विवाह करने के आधार पर एजीएमयूटी संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में एतद्वारा स्थानांतरित करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. : 23094142

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड,

नई दिल्ली